

हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,
ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला-171002

NO.BOCW/Estt./Clarifications & Instruction (577)/SML/- 70/8 Dated 11-12-18

सेवा में

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, विभाग/
बोर्डों/निगमों
2. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश
3. निदेशक
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
27,एस.डी.ए. कॉम्प्लैक्स,
शिमला-171009



विषय : कामगारों के लिए ट्रांजिट होस्टल की सुविधा बारे सूचना।

महोदय,

आप सभी को विनम्र सूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ने प्रदेश में दो कामगार ट्रांजिट होस्टलों का निर्माण किया है जिसमें से एक होस्टल गाँव घन्सोत, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, (हि0प्र0) तथा दूसरा होस्टल गाँव दुलैहर, तहसील हरोली, जिला ऊना, (हि0प्र0) में बनवाये गये हैं। इन ट्रांजिट होस्टलों में बोर्ड में पंजीकृत कामगारों को काम की तलाश के दौरान अस्थायी तौर पर आवासीय सुविधा रियायती दरों पर प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

तथापि आप सभी से अनुरोध है कि सभी कामगारों, जोकि इस बोर्ड में बतौर लाभार्थी पंजीकृत हैं, अथवा आपके विभाग या क्षेत्र अधिकार में किसी भी परियोजना निर्माण कार्य में कार्यरत हैं को कृपया इस सुविधा का लाभ लेने बारे में सूचित करें तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें कि यदि कोई पंजीकृत लाभार्थी इन ट्रांजिट होस्टलों की सुविधा का लाभ उठाना चाहें तो सम्बन्धित श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक से सम्पर्क करें। यद्यपि इन होस्टलों की सुविधा का प्रचार विभिन्न-विभिन्न

अ. ल. स. स. व.

म. म. ल.

अ. ल. स. स. व.
हस्ताक्षर
22/12/18

SO(GA)

SAG
27/12



Contd....2/-

समाचार पत्रों द्वारा भी किया जा रहा है। इनके निबन्धन एवं शर्तें जैसे भी बोर्ड द्वारा पारित एवं विनिर्दिष्ट की जाती है वह इन ट्रांजिट होस्टलों में रह रहे कामगारों के लिए लागू होगी।

सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निमार्ण कामगार
कल्याण बोर्ड, खलीनी, शिमला-171002

प्रतिलिपि उपरोक्त विषय के संदर्भ में प्रचार-प्रसार हेतु कृप्या सूचनार्थ प्रस्तुत है :

1. श्रमायुक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2 को कृप्या सूचनार्थ प्रस्तुत है।
2. समस्त ट्रेड यूनियन, हिमाचल प्रदेश को कृप्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है आप सभी से भी अनुरोध है कि सभी कामगारों, जोकि इस बोर्ड में बतौर लाभार्थी पंजीकृत हैं, को उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित किया जाए कि यदि वे इन कामगार ट्रांजिट होस्टलों की सूविधा का लाभ उठाना चाहें तो सम्बन्धित श्रम अधिकारी/श्रम निरीक्षक से सम्पर्क करें।
3. सहायक नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा) अधिकारी, हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला-171002
4. निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला-171002
5. समस्त श्रम अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, तथा श्रम निरीक्षक, हमीरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।
6. सम्बन्धित फाईल।

सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निमार्ण कामगार
कल्याण बोर्ड, खलीनी, शिमला-171002

CSK HIMACHAL PRADESH KRISHI VISHVAVIDYALAYA, PALAMPUR
'GENERAL ADMINISTRATION BRANCH'

Endst. No. QSD. 8-5/2016/CSK HPKV (GA)/- 711-30

Dated, Palampur, the
05 JAN 2019

Copy of obverse is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All the Statutory Officers, CSKHPKV, Palampur.
2. The Senators, Teaching and Non-teaching employees Constituencies, CSK HPKV, Palampur.
3. The Secretary, all the Unions/Associations, CSK HPKV, Palampur.
4. The Incharge, UNS, CSK HPKV, Palampur for uploading the same in the University website

Section Officer (Admn.)
CSK HPKV, Palampur.